न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 101 / 2022

1 अशोक कुमार पुत्र श्री सुरजाराम उम्र 47 साल जाति जाट निवासी ग्राम सुतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 जैसाराम पुत्र श्री अमरा राम जाति जाट निवासी ग्राम सुतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।
2 लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री अमराराम जाति जाट निवासी ग्राम सुतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल तहसील नेछवा जिला सीकर राज. मंदबुद्धि जरिये प्राकृतिक संरक्षिका व जायन्दा माता श्रीमती नन्दू देवी बेवा अमराराम जाति जाट निवासी ग्राम सुतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।
3 राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुतोद जिला सीकर जरिये प्रधानाध्यापक।
4 भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आज्ञा आदेश दिनांक 16.10.2000
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर
बउनवानी प्रकरण जैसाराम बनाम भगवानी आदि
मुकदमा नम्बर 60 / 2000

उपस्थिति :

1. श्री सत्यवीर सिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांक 23/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 60/2000 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2000 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने एक वाद उद्घोषणा , स्थायी निषेधाज्ञा व संशोधन खाता बाबत भूमि खसरा नम्बर 10, 151, 172, 184, 438 वाके ग्राम सूतोद का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष को विधिक आपत्ति पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदन की मद संख्या 1 में उल्लेखित अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील ग्राम सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ नवसृजित तहसील नेछवा जिला सीकर की तन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 4.00 है., खसरा नम्बर 151 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 172/1 रकबा 2.21 है., खसरा नम्बर 184 रकबा 2.72 है., खसरा नम्बर 438 रकबा 3.65 है. के संबंध में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर द्वारा मु.नं. 60/2000 बउनवानी जैसाराम बनाम भगवानी आदि में पारित आज्ञा दिनांक 16.10. 2000 के विरूद्ध पेश की गई है, स्वीकार है बकिया कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सूतोद जिला सीकर की भूमि थी जो एक सार्वजनिक संस्था है, इस संबंध में सभी ग्रामवासियों का उक्त संस्था की भूमि की देखभाल दायित्व होता है तथा संस्था प्रधान व रेस्पोडेन्ट ने आपसी मिलीभगत कर विद्यालय (संस्था) की कृषि भूमि खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा की जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में वाद पत्र में आवेदन अ. आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया गया था

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

परन्तु विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पर सुनवाई होने से पूर्व ही उक्त विचाराधीन आदेश जारी कर दिया गया था तथा अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील पेश के समय संहवन से धारा 96 सीपीसी का आवेदन पेश करने से रहा गया और अपीलान्ट को उक्त आवेदन की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने इस न्यायालय में धारा 96 सीपीसी का आवेदन पेश कर दिया गया है, अपीलान्ट अपील पेश करते समय संहवन से आवेदन नही कर सकता इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति को खारिज किया जाकर अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी को रिकार्ड पर लिया जाकर अनुमति प्रदान किये जाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील ग्राम सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ नवसृजित तहसील नेछवा जिला सीकर की तन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 4.00 है., खसरा नम्बर 151 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 172/1 रकबा 2.21 है., खसरा नंबर 184 रकबा 2.72 है., खसरा नम्बर 438 रकबा 3.65 है. के संबंध में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर द्वारा मु.नं. 60/2000 बउनवानी जैसाराम बनाम भगवानी आदि में पारित आज्ञा दिनांक 16.10.2000 के विरूद्ध पेश की गयी है। स्वीकृत रूप से प्रस्तुत अपील का अपीलान्ट अपीलाधीन आज्ञा में पक्षकार नहीं है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी भी आदेश/आज्ञा की अपील वही व्यक्ति कर सकता है जो उस आदेश/आज्ञा में पक्षकार रहा हो यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने आपको हितबद्ध व्यक्ति बताकर अपील प्रस्तुत की जाती है तो अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत करके न्यायालय से अपील प्रस्तुति की अनुमति लिया जाना कानूनन आवश्यक है। प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 16.10.2000 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर मु.नं. 60/2000 उनवानी जैसाराम बनाम भगवानी आदि में अपीलान्ट पक्षकार नहीं है, ना ही अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अ. धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्टेज पर नामंजूर किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने एक वाद उद्घोषणा , स्थायी निषेधाज्ञा व संशोधन खाता बाबत भूमि खसरा नम्बर 10, 151, 172, 184, 438 वाके ग्राम सूतोद का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील ग्राम सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ नवसृजित तहसील नेछवा जिला सीकर की तन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 4.00 है., खसरा नम्बर 151 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 172/1 रकबा 2.21 है., खसरा नंबर 184 रकबा 2.72 है., खसरा नम्बर 438 रकबा 3.65 है. के संबंध में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर द्वारा मु.नं. 60/2000 बउनवानी जैसाराम बनाम भगवानी आदि में पारित आज्ञा दिनांक 16.10.2000 के विरूद्ध पेश की गयी है।

पत्रावली के अनुसार प्रस्तुत अपील का अपीलान्ट अपीलाधीन आज्ञा में पक्षकार नहीं है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी भी आदेश/आज्ञा की अपील वही व्यक्ति कर सकता है जो उस आदेश/आज्ञा में पक्षकार रहा हो यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने आपको हितबद्ध व्यक्ति बताकर अपील प्रस्तुत की जाती है तो अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत करके न्यायालय से अपील प्रस्तुति की अनुमति लिया जाना कानूनन आवश्यक है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 16.10.2000 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर मु.नं. 60/2000 उनवानी जैसाराम बनाम भगवानी आदि में अपीलान्ट पक्षकार नहीं है, ना ही अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अ. धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है। इसके अभाव में अपीलान्ट की अपील विधिक बिन्दू पर पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य पाई जाती है। अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट विधिक बिन्दू पर पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्धन अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्धन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर